न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 304 / 19 वाद

मांगीलाल पिता स्व. श्री सवला गमेती, निवासी–सुरफलाया तहसील–गिर्वा उदयपुर
वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये सरकार साहब, गिर्वा उदयपुर
नारायणलाल पिता श्री भंवरलाल जी गुर्जर निवासी– देवाली (गोवर्द्धन विलास) गिर्वा उदयपुर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

फास्ट ट्रेक गिर्वा परिसर, उदयपुर

श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री नरपत सिंह चुण्डावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय

दिनांक : २२/७/२१

प्रतिवादी संख्या 2 नारायण लाल पिता भंवरलाल गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि काया (सुरफलाया) तहसील गिर्वा की वर्तमान आराजी नम्बर 81 वादी के खातेदारी में अंकित नहीं है। वादी व उसके पूर्वजों ने उक्त आराजीयात को विक्रय कर दिया एवम् वादी का कोई हित निहित नहीं है। आ0न0 81 को वादी व उसके पूर्वजों द्वारा विक्रय करने के पश्चात् क्रेता ने उक्त भुमि को आबादी में रूपान्तरित करा दिया है, वर्तमान में यह भूमि आवासीय दर्ज है। आबादी भुमि का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में यह वाद बाड बाई लॉ होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम काया की हाल आ0न0 81 जिसके साबिक आ0न0 385 वादी व उसके परिवार की भुमि है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता सवला जी, वादी के ताउजी धरमा एवं वादी के काका वरदा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी सं–2 ने वर्ष 1992 में बारापाल के तत्कालीन नायब तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि से मिलीभगत कर एक फर्जी पट्टे के आधार पर वादी की आ0न0 385 से आ0न0 6862 / 81 [illegible] 0800 हे0 बनना बताते हुए उक्त आराजी को नामान्तरण संख्या [illegible] करा लिया। राजस्व नक्शे में भी हैर फेर करते हुए आ0न0 6862 / 81 [illegible] वादी की आ0न0 की जगह तथा आ0न0 81 को अन्य जगह पर अंकित करा दि[illegible] गया। वादी की आ0न0 81 को राजस्व नक्शे मे जिस स्थान पर परिवर्तीत किया वह भुमि साबिक आ0न0 388

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है, जिसके नये नम्बर 77, 78, 79 व 80 बने जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज थी। उक्त धोखाधड़ी की जानकारी होने पर राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन नायब तहसीलदार आदि के विरूद्व फौजदारी प्रकरण दर्ज कराया गया था, साथ ही आप उप जिला कलेक्टर गिर्वा उदयपुर के आदेश भू/राजस्व/बी 95/1584–86 दिनांक 24.08.1995 से प्रतिवादी न0–2 के नाम पर खोले गये नामान्तरण संख्या 281 से प्रभावित प्रविष्ठियों को अग्रिम आदेश तक यथावत रखने के आदेश दिये गये जो आज तक प्रभावी है। अतः निवेदन है कि जवाब वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी सं–2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कही बातों को दोहतराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने वाद मे जिन आराजियों के वास्ते दाद चाही है उनका वादी से कोई संबन्ध नहीं है। अतः cause of action के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य न होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. खारीज फरमाया जाए। वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथित कथनों को दोहराया गया। O7R11 cpc हेतु वाद का अवलोकन महत्वपूर्ण है। वादी द्वारा उक्त वाद में हाल जमाबंदी के दो खसरों हेतु दाद मांगी है। वादी के वाद के पैरा सख्या 13(ख) में वादी द्वारा उक्त दाद में खसरा संख्या 6862/81 को बिलानाम दर्ज करवाने हेतु दाद चाही गई है। यह दाद हेतु वादी का कोई वादकारण एवं Locus standi प्रकट नहीं होता है। सरकार को खातेदार घोषित करवाने हेतु वाद वादी नहीं ला सकते है। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आ0न0 81, जिसकके हेतु वादी द्वारा घोषणा की दाद चाही चाही गई है, भिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है, जिन्हे वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो उक्त वाद हेतु आवश्यक पक्षकार है। साथ ही उक्त खसरा संख्या हेतु वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे प्रथक दृष्टिया वादी का हित हो। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा न्यायालय को आदेश दिनांक 03.06.2017 पेश किया है तथा बहस में बताया कि वादी के पिता द्वारा उक्त आराजीयात रजिस्टर्ड्र विक्रय पत्र से बेचान कर दी गयी थी। अतः वादी का कोई हक निहित नहीं है। यदि वादी उक्त रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाना चाहता है तो सिविल न्यायालय में वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त वाद में वादी का वाद हेतु न होने एवं वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। [illegible] नम्बर सके कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:37:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर्णा गुप्ता(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर फा.ट्रे.
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा उदयपुर
कलक्टर परिसर, उदयपुर

Scanned with CamScanner